Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 3-2018/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, JANUARY 9, 2018 (PAUSA 19, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 09 जनवरी, 2018

संख्या 11/एसटी–2.– हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 35/एसटी–2, दिनांक 30 जून, 2017 (हिन्दी पाठ) में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं तथा प्रथम जुलाई, 2017 से संशोधित की गई समझी जाएंगी, अर्थात्:–

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 35/एसटी–2, दिनांक 30 जून, 2017 (हिन्दी पाठ) में,–

I **अनुसूची I – 2.5% में,–**

(i) क्रम संख्या 261 के सामने, ''माल का विवरण'' शीर्ष के नीचे, में, ''पोस्टेज या राजस्व, स्टांक–डाक चिह्न'' के स्थान पर, ''पोस्टेज या राजस्व स्टांप, स्टांप–डाक चिह्न'' शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) सूची 1 में, क्रम संख्या (6) के सामने, 'ब्लीकामिसिन'' शब्द के स्थान पर, ''ब्लीयामिसिन'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) सूची 1 में, क्रम संख्या (18) के सामने, ''डोमामाइन'' शब्द के स्थान पर, ''डोपामाइन'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) सूची 1 में, क्रम संख्या (31) के सामने, ''स्टिन हाइड्रोक्लोराइड'' शब्दों के स्थान पर, ''मस्टिन हाइड्रोक्लोराइड'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(v) सूची 1 में, क्रम संख्या (43) तथा उसके सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

''(43) टायफाइड टीके:

(क) 6–एंटीजेन आफ सलमोनेल्ला टाइफी

(ख) टीवाई2ला सैल्स एंड एटेन्युएटेड नान – पैथोजैनिक स्ट्रेन्स आफ एस. टाइफी'';

(vi) सूची 1 में, क्रम संख्या (47) के सामने, ''अर्सओक्सोडिक्सोक्लोरिक अम्ल'' शब्दों के स्थान पर, ''अर्सोडिओक्सीकोलिक अम्ल'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(vii) सूची 1 में, क्रम संख्या (53) के सामने, ''पेगुलेटेड लिपोसोमल डाक्सकरक्यूरलिन, हाइड्रोक्लोरिक इन्जेक्शन'' शब्दों के स्थान पर, ''पेगुलेटेड लिपोसोमल डोक्सोरुबिसिन हाइड्रोक्लोराइड इन्जेक्शन'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(viii) सूची 1 में, क्रम संख्या (57) के सामने, ''ट्रांसप्लांट मिटिफोसीन ट्रांसप्लाट के लिए भंडारण, परिवहन, क्लशिंग के लिए घोल'' शब्दों के स्थान पर, ''ट्रांसप्लांट के लिए डोनर अंगों के भंडारण, परिवहन, फ्लशिंग (Flushing) के लिए घोल'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ix) सूची 1 में, क्रम संख्या (68) के सामने, ''म्यूरोनाब सीडी 3'' शब्दों तथा अंक के स्थान पर, ''म्यूरोमोनाब सी डी 3'' शब्द तथा अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(x) सूची 1 में, क्रम संख्या (101) के सामने, ''एगलसिडनेस बेटा'' शब्दों के स्थान पर, ''एगलसिडेस बीटा'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(xi) सूची 1 में, क्रम संख्या (108) के सामने, ''रेडियोग्राफी कांटेस्ट मीडिया'' शब्दों के स्थान पर, ''रेडियोग्राफी कांट्रास्ट मीडिया'' शब्द, प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(xii) सूची 1 में, क्रम संख्या (113) के सामने, ''वेलवेट एब्सार्बड न्यूमोकोक्लाइसिरिड टीका'' शब्दों के स्थान पर, ''वेलेन्ट एडजोर्बड न्यूमोकोकल एकराईड कन्ज्युगेट टीका'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(xiii) सूची 1 में, क्रम संख्या (175) के सामने, ''अंतःसिास'' शब्द के स्थान पर, ''अंतःशिरा'' शब्द प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(xiv) सूची 1 में, क्रम संख्या (194) के सामने, ''पोटैशियम मिनोबेंज़ोएटे'' शब्दों के स्थान पर, ''पोटैशियम अमिनोबेंज़ोएट'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(xv) सूची 1 में, क्रम संख्या (224) के सामने, ''टेनिओसाइड'' शब्द के स्थान पर, ''टेनिपोसाइड'' शब्द' प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xvi) सूची 1 में, क्रम संख्या (228) (सी) के सामने, ''आयोडीपेमिडेमीथाइल्युकेमाइन'' शब्द के स्थान पर, ''आयोडीपामाईड मिथाईल ग्लूकामाईन'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(xvii) सूची 2 में, क्रम संख्या (5) के सामने, ''सोडियम पीएस'' शब्दों के स्थान पर, ''सोडियम पी ए एस'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(xviii) सूची 2 में, क्रम संख्या (14) के सामने, ''एड्रोपिन'' शब्द के स्थान पर, ''एट्रोपिन'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xix) सूची 3 में, मद (क) में, क्रम संख्या (3) तथा (4) और उनके सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित कम संख्या और उनके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

''(3) बेंत, इलेक्ट्रोनिक साहाय्य जैसे ध्वनिक गाइड

(4) दृष्टि, पर्यावरणीय संवेदक'';

(xx) सूची 3 में, मद (क) में, क्रम संख्या (7) के सामने, ''कंपैरेटर्स'' शब्द के पश्चात, ''गेजिस,'' शब्द तथा चिह्न रखा जाएगा ।

II अनुसूची II – 6% में,–

(i) क्रम संख्या 40 के सामने, ''माल का वर्णन'' शीर्ष के नीचे, ''चाहे उनमें चाहे उनमें'' शब्दों के स्थान पर, ''चाहे उनमें'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) क्रम संख्या 61 के सामने, ''माल का वर्णन'' शीर्ष के नीचे, ''(यीस्ट को छोड़कर के संवर्ध और वैसे ही उत्पाद)'' कोष्ठकों तथा शब्दों के स्थान पर, ''(यीस्ट को छोड़कर) के संवर्ध और वैसे ही उत्पाद'' कोष्ठक तथा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(iii) क्रम संख्या 119 के सामने, ''माल का वर्णन'' शीर्ष के नीचे, ''(चीनी मिट्टी'' तथा ''जिसके अंतर्गत वर्ग भी हैं'' कोष्ठक तथा शब्दों के स्थान पर, क्रमशः ''(चीनी मिट्टी)'' और ''(जिसके अंतर्गत वर्ग भी हैं)'' कोष्ठक तथा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(iv) क्रम संख्या 125 के सामने, ''माल का वर्णन'' शीर्ष के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्,–

''माचिसों के लिए कागज की सलाई, चाहे मोम लगी है या नहीं, अस्फाल्टिक रूफिंग चादरें'';

(v) क्रम संख्या 156 के सामने, ''माल का वर्णन'' शीर्ष के नीचे, ''कशीदाकारी नग में पट्टियों में या मोफिटों में'' शब्दों के स्थान पर, ''कशीदाकारी नग में, पट्टियों में या मोटिफो में,'' शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(vi) क्रम संख्या 161 के सामने, ''माल का वर्णन'' शीर्ष के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्,–

''लिनोलियम, चाहे आकार में कर्तित है या नहीं; फर्श की बिछायतें, जिनके टैक्सइटाइल पृष्ठक को विलेपित या आच्छादित किया गया है, चाहे आकार में कर्तित है या नहीं'';

(vii) क्रम संख्या 217 के सामने, ''माल का वर्णन'' शीर्ष के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी अर्थात्,–

''रेखन और चिह्नांकन यंत्र, गणितीय गणना यंत्र, पेंटोग्राफ, अन्य रेखन या चिह्नांकन यंत्र'';

(viii) क्रम संख्या 222 के सामने, ''माल का वर्णन'' शीर्ष के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्,–

''उपकरण, जो एक्सरेस या एल्फा, बीटा या गामा विकर्णों के उपयोग पर आधारित हैं, चिकित्सीय, शल्य चिकित्सीय, दंत चिकित्सीय या पशु चिकित्सीय उपयोगों के लिए हैं, जिसके अंतर्गत रेडियोग्राफी या रेडियों चिकित्सा उपकरण, एक्सरे ट्यूब और अन्य एक्सरे जनित्र, उच्च विद्युतगामी जनित्र, नियंत्रण पैनल और डेस्क, स्क्रीन, परीक्षा या उपचार मेजें, कुर्सियां और वैसी ही अन्य वस्तुएं'';

(ix) क्रम संख्या 225 के सामने, ''माल का वर्णन'' शीर्ष के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्,–

''हेरीकेन लालटेन, कैरोसीन लैम्प/प्रेशर लालटेन, पेट्रोमैक्स, कांच की चिमनी और उनके पुर्जे'';

(x) क्रम संख्या 239 के सामने, ''माल का वर्णन'' शीर्ष के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के अंत में, ''के कलक्शनज तथा कलक्टरज पीस'' शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।

III अनुसूची III – 9 % में,–

(i) क्रम संख्या 39 के सामने, खाना (3) में, ''अन्य'' शब्द के स्थान पर, ''सभी'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 56 के सामने, खाना (3) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्,–

''वाष्पशील तेल (तारपीनरहित हैं या नहीं) जिसके अंतर्गत कंक्रीटस और एब्सोल्यूटस हैं, रेजिनायड; निष्कर्षित ओलियोरेजिन; इनफलूरेज या मस्रण द्वारा अभिप्राप्त किए गए वसा में, फिक्सड तेल में, मोम में या वैसे ही किसी पदार्थ में, वाष्पशील तेलों के सांद्र; वाष्पशील तेलों के विटर्पिनीकरण के टर्पिनी – उपोत्पाद; वाष्पशील तेलों के जलीय आसुत और जलीय घोल; जैसे कि निम्बुकुल फलों के वाष्पशील तेल, निम्बुकुल फलों के वाष्पशील तेल से भिन्न वाष्पशील तेल जैसे कि यूक्लिपटस तेल इत्यादि, सभी प्रकार के फलेवरिंग एसेंस (जिसके अंतर्गत लिकर के लिए एसेंस भी हैं), फिक्सड तेलीय आधारों में सभी प्रकार के इत्तर'';

(iii) क्रम संख्या 57 के सामने, खाना (3) में, अन्त में, ''मेनथा पीप्रेटा तेल'' शब्द के पश्चात् ''से भिन्न'' शब्द रखे जाएंगे;

(iv) क्रम संख्या 74 के सामने, खाना (3) में, ''चाहे पैक में है या नहीं'' शब्दों के पश्चात्, '';जैसे कि तात्क्षणिक प्रिंट फिल्म, सिनेमाटोग्रैफिक फिल्म'' शब्द रखे जाएंगे;

(v) क्रम संख्यां 79 के सामने, खाना (3) में, ''तैयार रुप में'' शब्दों के बाद, ''फुटकर बिक्री के लिए'' शब्द रखे जाएंगे;

(vi) क्रम संख्या 90 के सामने, खाना (3) में, अंत में, '';जैसे कि रबड़ के लिए वल्किनाइसिंग एजेंट'' शब्द रखे जाएंगे;

(vii) क्रम संख्या 98 के सामने, खाना (3) में, ''विनिर्दिष्ट हैं'' शब्दों के बाद, ''को छोड़कर'' शब्द रखे जाएंगे;

(viii) क्रम संख्या 100 के सामने, खाना (3) में, ''पालीएलाइन'' शब्द के स्थान पर, ''पालीएलाइल एस्टर'' शब्द' प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ix) क्रम संख्या 112 के सामने, खाना (3) में, ''2001'' अंकों के स्थांन पर, ''4001'' अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(x) क्रम संख्या 122 के सामने, खाना (3) में, ''(आच्छद'' तथा ''जैसे ग्रैब टोपियां)'' कोष्ठक तथा शब्दों के स्थान पर, क्रमशः ''[आच्छद'' तथा ''जैसे ग्रैब टोपियां, से भिन्न]'' कोष्ठक तथा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(xi) क्रम संख्या 136 के सामने, खाना (3) में, अंत में, ''[माचिसों के लिए सलाई से भिन्न],'' कोष्ठक तथा शब्द रखे जाएंगे;

(xii) क्रम संख्या 141 के सामने, खाना (3) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्,–

''अपशिष्ट कार्क; संदलित, कणकित या दलित कार्क'';

(xiii) क्रम संख्या 152 के सामने, खाना (3) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी अर्थात्,–

''कागज या पेपरबोर्ड के लिफाफे, पत्र कार्ड, सादा पोस्टकार्ड और पत्राचार कार्ड; (कागज या पेपरबोर्ड के बॉक्सिस, पाऊचिस, वालेटस और लेखन सार–संग्रह, जिसमें लिखित ब्लॉक्स सहित पेपर लेखन सामग्री का कोई संग्रह रखने वाला भी है, से भिन्न)'';

(xiv) क्रम संख्या 154 के सामने, खाना (3) में, ''कागज सा पेपर बोर्ड के रजिस्टर, लेखाबही, नोटबुक, आर्जर बुक, रसीद बुक, पत्र पैड, ज्ञापन पैड, डायरी और वैसी ही वस्तुएं, अभ्यास पुस्तिकाएं'' शब्दों तथा चिह्नों के स्थान पर, ''कागज या पेपर बोर्ड के रजिस्टर, लेखाबही, आर्डर बुक, रसीद बुक, पत्र पैड, ज्ञापन पैड, डायरी और वैसी ही वस्तुएं,'' शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(xv) क्रम संख्या 192 के सामने, खाना (3) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

''घड़ी या हाथ घड़ी के कांच और इस प्रकार के कांच, सही न किए जा सकने वाले चश्मों के लिए कांच, घुमावदार, मुड़े हुए, खोखले या उसी प्रकार के, जो प्रकाशीय रूप से कर्मित न हों; खोखले कांच गोले और उनके टुकड़े जो इस प्रकार के कांच के निर्माण में काम आते हैं'';

(xvi) क्रम संख्या 195 के सामने, खाना (3) में, ''कांच ऊर्ण'' शब्दों के स्थान पर, ''कांच ऊन'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(xvii) क्रम संख्या 226 के सामने, खाना (3) में, ''सिलिंग'' शब्द के स्थान पर, ''स्लिंग'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xviii) क्रम संख्या 306 के सामने, खाना (3) में, ''कडों'' शब्द के स्थान पर, ''कपड़ों और कपड़ों के उपसाधन'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(xix) क्रम संख्या 334 के सामने, खाना (3) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्,–

''प्लेटें, मुद्रण घटकों को तैयार करने और बनाने के लिए मशीनरी, उपकरण और उपस्कर (शीर्ष 8456 से 8465 तक की मशीनों से भिन्न); मुद्रण प्रयोजनों के लिए तैयार की गई प्लेटें, सिलेण्डर और लिथोग्राफिक स्टोन (उदाहरणार्थ समतल, कणित या पालिशकृत)'';

(xx) क्रम संख्या 369 के सामने, खाना (3) में, ''रोलन'' शब्द के स्थान पर, ''रोलर'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xxi) क्रम संख्या 388 के सामने, खाना (3) में, ''प्लग,'' शब्द तथा चिह्न के पश्चात्, ''अन्य कनैक्टर,'' शब्द तथा चिह्न रखे जाएंगे;

(xxii) क्रम संख्या 408 के सामने, खाना (3) में, ''किसी भी सामग्री के,'' शब्दों तथा चिह्न के पश्चात, ''अनारुढ,'' शब्द तथा चिह्न रखे जाएंगे;

(xxiii) क्रम संख्या 413 के सामने, खाना (3) में, ''केलिपर जो इस अध्याय में अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं)'' शब्दों तथा कोष्ठाकों के स्थान पर, ''केलिपर), जो इस अध्याय में अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं'' शब्द तथा कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(xxiv) क्रम संख्या 432 के सामने, खाना (3) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी अर्थात्,–

''अन्य आयुध (उदाहरणार्थ स्प्रिंग, वायु या गैस गन और पिस्तौल, ट्रेन्चन), उनको छोड़कर जो शीर्ष 9307 के हैं''।

IV अनुसूची IV – 14% में,–

(i) क्रम संख्या 10 के सामने, ''अध्याय/शीर्ष/उपशीर्ष/टैरिफ मद'' शीर्ष के नीचे, ''20 90 2106'' अंकों के स्थान पर, ''2106 90 20'' अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) क्रम संख्या 12 के सामने, ''अध्याय/शीर्ष/उपशीर्ष/टैरिफ मद'' शीर्ष के नीचे, ''10 2202'' अंकों के स्थान पर, ''2202 10'' अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(iii) क्रम संख्या 21 के सामने, ''माल का वर्णन'' शीर्ष के नीचे, ''अजलीय माध्यम'' शब्दों के स्थान पर, ''जलीय माध्यम'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(iv) क्रम संख्या 122 के सामने, ''माल का वर्णन'' शीर्ष के नीचे, ''[00 11 8422]'' और ''[00 19 8422]'' अंकों के स्थान पर, क्रमशः ''[8422 11 00]'' तथा ''[8422 19 00]'' अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(v) क्रम संख्या 141 के सामने, ''माल का वर्णन'' शीर्ष के नीचे, ''चांत्रिकी,'' शब्द और चिह्न के स्थान पर, ''यांत्रिकी'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vi) क्रम संख्या 174 के सामने, ''माल का वर्णन'' शीर्ष के नीचे, ''8711 से 8713'' अंकों तथा अक्षर के स्थान पर, ''8711 और 8713'' अंक तथा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।